न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– अजीत सिंह राठौड़ (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी

राजस्व प्रकरण संख्या 125/2025 **दायर तारीख 03.06.2025**

अनवान

1. दीपू देवी पत्नि पप्पू कुमार जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी जावदा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज0)।

...........प्रार्थीया

बनाम

राजस्थान सरकार मार्फत भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।

.... विपक्षी

उपस्थित :– श्री जगदीश चन्द्र धाकड़ – अधिवक्ता प्रार्थीया।

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 131– 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :–

दिनांक 23/12/2025

प्रार्थनापत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से जरिये अधिवक्ता श्री जगदीश चन्द्र धाकड़ ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत **धारा 131– 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम** के तहत विरूद्ध विपक्षी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीया की मौजा ग्राम मानपुरा पटवार हल्का थड़ौदा में स्थित आराजी नम्बर 202, 214 कुल किता 02 रकबा 0.3075 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीया की खातेदारी अधिकार आधिपत्य की होकर प्रार्थीया के उपयोग उपभोग में चली आ रही हैं। और लगान राज्य सरकार में जमा करवाते आ रहे हैं। प्रार्थीया ने पटवार हल्का थड़ौदा से राजस्व रेकार्ड नक्शा ट्रेस की नकल प्राप्त की एवं ऑनलाईन राजस्व नक्शा ट्रेस की नकल प्राप्त की जिसमें राजस्व नक्शा मौका स्थिति अनुसार सही हैं। पटवारी हल्का द्वारा जारी नक्शा ट्रेस एवं ऑनलाईन द्वारा प्राप्त नक्शा ट्रेस में आराजी नम्बर 214 में भिन्नता होकर वक्त राजस्व नक्शे में ऑनलाईन करते वक्त उक्त त्रुटि हुई हैं।

अतः मौजा ग्राम मानपुरा पटवार हल्का थड़ौदा स्थित आराजी नम्बर 214 को मौके पर काबिज व पटवारी हल्का थड़ौदा द्वारा जारी राजस्व नक्शा ट्रेस के अनुसार ऑनलाईन राजस्व नक्शा में दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी की तलबी जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र भेज करवायी गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली हैं।

प्रकरण में इस न्यायालय के पत्रांक/रीडर/2025/1674 दिनांक 20.08.2025 द्वारा तहसीलदार बिजौलियां को मौका रिपोर्ट हेतु लिखा गया।

तहसीलदार बिजौलियां के पत्रांक/राजस्व/2025/1461 दिनांक 09.09.2025 से रिपोर्ट प्राप्त हुयी जो शामिल पत्रावली हैं।

निरन्तर पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

तहसीलदार बिजौलियां ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया कि भू०अ०नि० बिजौलियां खुर्द एवं पटवारी हल्का थडोदा द्वारा मौका पर्चा अनुसार ग्राम मानपुरा की आराजी नं0 214 रकबा 0.2428 है० भूमि पर प्रार्थी एवं अन्य मौतविरान के साथ मौका निरीक्षण किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रकरण में खातेदारी भूमि आ०नं0 214 रकबा 0.2428 है० भूमि की राजस्व नक्शा लटठा व ऑनलाईन नक्शा में भिन्नता होने से राजस्व नक्शा अनुसार ऑनलाईन नक्शा सही कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। मौके पर राजस्व नक्शा अनुसार प्रार्थीगण आ0नं0 214 पर काबिज है। वक्त सेग्रीगेशन ऑनलाईन नक्शे में आ०नं0 214 रकबा 0.2428 है0 में त्रुटी हुई है। प्रार्थीगण राजस्व नक्शा लट्ठा अनुसार ही मौके पर काबिज है। नक्शा लट्ठा अनुसार प्रार्थीगण ऑनलाईन नक्शे में दुरूस्ती कराना चाहते है। ऑनलाईन नक्शे में दुरूस्ती किया जाना उचित है।

अतः रिपोर्ट, मौका पर्चा, जमाबन्दी नकल की प्रति, नक्शा ट्रेस, ऑनलाईन नक्शा की प्रति सलंग्न की जो शामिल पत्रावली हैं।

अधिवक्ता प्रार्थीया ने दस्तावेज के साथ नकल जमाबन्दी ग्राम मानपुरा प0ह0 थड़ौदा सम्वत् 2074 से 2077, नक्शा ट्रेस, भू–नक्शा की प्रति संलग्न की है।

बहस अधिवक्ता प्रार्थीया एवं पैरोकार सरकार की सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अधिवक्ता प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना के अनुसार मौजा ग्राम मानपुरा स्थित आराजी नम्बर 214 को मौके पर काबिज व पटवारी हल्का थड़ौदा द्वारा जारी राजस्व नक्शा ट्रेस के अनुसार ऑनलाईन राजस्व नक्शा में दर्ज करवाना चाहा हैं एवं पैराकार सरकार ने उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में जवाब प्रस्तुत किया हैं।

पैरोकार सरकार स्वयं ने अपने उक्त जवाब में अंकित किया कि प्रार्थीया मौके पर राजस्व नक्शा अनुसार प्रार्थीगण आ०नं0 214 पर काबिज है। वक्त सेग्रीगेशन ऑनलाईन नक्शे में आ0नं0 214 रकबा 0.2428 है0 में त्रुटी हुई है। प्रार्थीया राजस्व नक्शा लट्ठा अनुसार ही मौके पर काबिज है। नक्शा लट्ठा अनुसार प्रार्थीया ऑनलाईन नक्शे में दुरुस्ती कराना चाहते है। ऑनलाईन नक्शे में दुरूस्ती किया जाना उचित है।

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना एवं पैरोकार सरकार के जवाब पर मनन किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पैरोकार सरकार के जवाब के आधार पर स्वीकार किया जाना हम उचित समझते है।

–: आदेश :–

अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत **धारा 131–136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर** मौजा ग्राम मानपुरा पटवार हल्का थड़ौदा स्थित आराजी नम्बर 214 रकबा 0.2428 है0 भूमि में राजस्व नक्शा लट्ठा अनुसार प्रार्थीगण के ऑनलाईन नक्शे में दुरुस्ती किये जाने का आदेश दिया जाता हैं।

आदेश आज दिनांक 23/12/2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला–भीलवाड़ा

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

क्रमांक / रीडर / 2026/15 दिनांक : 5/1/2026

प्रेषिति :—

तहसीलदार
बिजौलियां

विषय :— राजस्व प्रकरण संख्या **125/2025 दायर तारीख 03.06.2025 अन्तर्गत धारा 131—136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम** में पारित निर्णय की पालना बाबत्।

अनवान

दीपू देवी पत्नि पप्पू कुमार जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी जावदा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज0)।

............प्रार्थीया

बनाम

राजस्थान सरकार मार्फत भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।

.... विपक्षी

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख हैं कि उक्त राजस्व प्रकरण संख्या 125/2025 दायर तारीख 03.06.2025 अन्तर्गत धारा 131—136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में पारित निर्णय की नियमानुसार पालना करना सुनिश्चित करें।

संलग्न :— आदेश की प्रति,

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

O/C